HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2640/2026

1. Shabeer Khan S/o Ibrahim, R/o Ganjee, Police Station Chambacity, District Chamba (Himachal Pradesh). (Presently Confined In Sub Jail, Ramganj Mandi)
2. Liyakat Ali S/o Gulam Rasul, R/o Jamalpura Basti, Malerkotala, Police Station Sitivan Malerkotala, District Sangroor. (Punjab) (Presently Confined In Sub Jail, Ramganj Mandi).

----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Kriti Mishra
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

23/02/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना कनवास, जिला–कोटा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 7/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि उन्हें प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनके आधिपत्य से 43 किलो 728 ग्राम मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा बरामद होना बताया गया है, जो व्यावसायिक मात्रा से कम है। प्रार्थीगण/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण भी संस्थित नहीं हुआ है। वे दिनांक 7.1.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण और विचारण में समय लगेगा। अतः उन्हें जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तणगण क्रमशः हिमाचल–प्रदेश व पंजाब राज्य के रहने वाले है तथा

अनुसंधान से प्रकट हुआ है कि वे मध्य–प्रदेश से मादक पदार्थ खरीद कर राजस्थान लेकर आये हैं। अभियुक्तगण के आधिपत्य से 43 किलो 728 ग्राम मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद हुआ है। उनके विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अभियोग है। प्रकरण में अभी अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है। गंभीर अपराध है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार पुलिस थाना–कनवास द्वारा की जा रही नाकाबन्दी व वाहनों की चैकिंग के दौरान वाहन संख्या पी.बी.13 बीक्यू 5159 में बैठे अभियुक्तगण के आधिपत्य से 90 पॉलिथिन के पैकिट में अवैध मादक पदार्थ अफीम का डोडा चूरा बरामद किया गया, जिसका शुद्ध वजन 43 किलो 728 ग्राम होना पाया गया। उक्त दोनों अभियुक्तगण कमशः हिमाचल–प्रदेश व पंजाब के निवासी होना पाये गये हैं तथा उनके द्वारा मध्यप्रदेश से उक्त मादक पदार्थ राजस्थान में लाया जाना अनुसंधान से प्रकट हुआ है। प्रकरण में अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR /71